प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या /VI-1 /2008-3(2) 2004

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग:

देहरादून दिनांक 24 मार्च 2008

विषय: जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बेतालघाट में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-47/VI-1/2008-2(9) 2008 दिनांक 25 फरवरी 2008 तथा आपके पत्र संख्या 760/सात -1204/ 2007-2008 दिनांक 23 अक्टूबर 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बेतालघाट में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रामनगर द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन रू0 110.03 लाख पर वित्त विभाग के टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 105.05 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सी राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. आगंणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति का प्रस्ताव करते समय पूर्व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय /भौतिक प्रगति विवरण व उपयोग प्रमाण पत्र अवशेष प्रस्तुत किया जाय।
4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्वेत्ताओं से अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय। निर्माण कार्य के न्यूनतम तीन चरणों के छायाचित्र निर्माण इकाई द्वारा वित्तीय /भौतिक प्रगति के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसमें निर्माण कार्य के पूर्व का रिक्त भूमि का चित्र निर्माण के मध्य का चित्र व पूर्ण निर्मित योजना का चित्र।
7. आगंणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
8. जी0पी0डब्लू0 फार्म 8 की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
9. मुख्य सचिव उत्तराचल के शासनादेश सं0 2047 XII-219/(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगंणन गठित करते समय कटाई से पातन करने का कष्ट करें।
10. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या - 1031(P)/वित्त XXXVII-(3)/2008 दिनांक 24 मार्च 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या:–25/VI-I/2008–3(2)2004 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– जिलाधिकारी नैनीताल।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8– परियोजना प्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रामनगर, नैनीताल।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव